



कार्यालय उपायुक्त / सहायक आयुक्त  
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संभाग A जोधपुर  
02E/1, SUBHASH ENCLAVE वायु सेना केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 के सामने  
अभयगढ़ स्कीम जोधपुर,  
Telephone Number-0291-,2940346,,wn01cgst@gmail.com,

फाइल संख्या I-22(4)/ADM./18/

दिनांक 8/11/21

### नीलामी सूचना


सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित वाहन की "जहां है जैसा है" के आधार पर इस कार्यालय परिसर में दिनांक 29 नवंबर 2021 को प्रातः 11:00 बजे खुली बोली द्वारा नीलामी की जाएगी

क्रम संख्या	वाहन का विवरण/ निर्माण- वर्ष	रजिस्टर संख्या	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
1	GYPSY HARD TOP/ 2000	RJ-14-4C-9563	20000	5000

**नीलामी के नियम एवं शर्तें निम्न प्रकार से होगी जिसकी विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट [www.centralexcisejaipur.nic.in](http://www.centralexcisejaipur.nic.in) पर उपलब्ध है**

1. नीलामी में कोई भी अशासकीय व्यक्ति भाग ले सकता है, किंतु बोली लगाने से पूर्ण धरोहर राशि रुपये 5000/ केवल डिमांड ड्राफ्ट जो प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संभाग A जोधपुर के पक्ष में दे हो जमा करवाना होगा। धरोहर राशि नगद में स्वीकार नहीं की जाएगी।
2. वहान की नीलामी निर्धारण दिनांक एवं समय पर सीमा शुल्क उप- आयुक्तालय, कुचामन बांग्ला, पांच बत्ती सर्किल, रातानाडा जोधपुर के परिसर में होगी।
3. नीलामी उच्चतम बोली दाता के पक्ष में की जाएगी। सफल बोली दाता को संपूर्ण राशि तुरंत राजकोष में जमा करवाकर इसका प्रमाण- पत्र अधो- हस्ताक्षर करता को उसी दिन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
4. सफल बोली दाता द्वारा यदि वाहन की सुपुर्दगी नहीं ली जाती है अथवा निविदा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
5. सफल बोली दाता के हस्तांतरण/ पंजीयन अथवा निपटान की समस्त कार्रवाई में खर्च एवं दे करों को स्वयं को करनी होगी/ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी उपलब्ध करवाई जाएगी औरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट गुम होने की पुलिस FIR कॉपी दी जाएगी।

6. इच्छुक बोली दाता नीलामी से पूर्व वाहन का निरीक्षण सीमा शुल्क उपायुक्तआले कुचामन बंगला पांच बत्ती सर्किल रातानाडा जोधपुर के परिसर में किसी कार्य दिवस में 11:00 से शाम 4:00 बजे तक कर सकते हैं।
7. किसी भी बोली को निरस्त करने/ अस्वीकृत करने का अधिकार अधो- हस्ताक्षर करता के पास रहेगा।

  
( अर्जुन सिंह मीणा )

सहायक आयुक्त

निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. संपादक राजस्थान पत्रिका, जोधपुर को उक्त प्रेस विज्ञप्ति जोधपुर संस्करण में 64 स्ववायर सेंटीमीटर तक के कॉलम में डीएवीपी मूल्य में प्रकाशन हेतु
2. नोटिस बोर्ड
3. अधीक्षक कंप्यूटर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

सहायक आयुक्त